

सी.जी.-डी.एल.-सा.-24032020-218874 CG-DL-W-24032020-218874

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 11] नई दिल्ली, मार्च 15—मार्च 21, 2020, शनिवार / फाल्गुन 25, 1941—चैत्र 1,1942 No. 11] NEW DELHI, MARCH 15—MARCH 21, 2020, SATURDAY/PHALGUNA 25, 1941—CHAITRA 1, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2020

सा.का.नि. 68 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग, भाषायी प्रशासक, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2017 को, उन बातो के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए,

1332 GI/2020 (389)

जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग में भाषायी प्रशासक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—

- (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, भाषायी प्रशासक, समृह 'क' पद भर्ती नियम, 2020 है।
- (ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .— भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनसची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या	सीधे भर्ती किए
				अचयन पद	जाने वाले व्यक्तियों
					के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
भाषायी	1*	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 13	लागू नहीं	लागू नहीं होता
प्रशासक	(2020)	सेवा, समूह 'क'	(123100-215900/ रु.)	होता	
	*कार्यभार के आधार	राजपत्रित			
	पर परिवर्तन किया जा	अननुसचिवीय			
	सकता है ।				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	व्यक्तियों के लिए विहित	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली, रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति
			(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) +
			प्रोन्नति]

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे	यदि विभागीय प्रोन्नति	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में
श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया	समिति है तो उसकी संरचना	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
जाएगा		किया जाएगा
11	12	13
संयुक्त पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक	लागू नहीं होता	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा
संविदा भी है) + प्रोन्नति] केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या		आयोग से परामर्श करना आवश्यक है
संघ राज्य क्षेत्रों या अर्द्धसरकारी या मान्यताप्राप्त अनुसंधान		
संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या		
स्वायत्त या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी :		
(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश		
पद धारण किये हुए है ; या		
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12		
(78800-209200/- रुपए) में या समतुल्य पदों में नियमित		
आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की		
नियमित सेवा की है ; या		
(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11		
(67700-208700/- रुपए) में या समतुल्य पदों में नियमित		
आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित		
सेवा की है और		
(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :-		
आवश्यक :		
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में		
मास्टर डिग्री ; या		
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर		
अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में		
अंग्रेजी सहित से हिन्दी में मास्टर डिग्री ; या		
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर		
अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में		
हिन्दी सहित अंग्रेजी में मास्टर डिग्री ; या		
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर		
अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में		
अंग्रेजी सहित हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में हिन्दी		
माध्यम में मास्टर डिग्री ; या		
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर		
अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में		
हिन्दी सहित अंग्रेजी या हिन्दी से भिन्न किसी विषय में		

अंग्रेजी माध्यम में मास्टर डिग्री ; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी तथा अंग्रेजी या इनमें से कोई एक परीक्षा के माध्यम तथा दूसरी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में होते हुए हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री।

केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों के अधीन परीक्षा कार्य संभालने में अनुभव सिहत हिन्दी में शब्दावली (शब्दकोषीय कार्य) के प्रयोग या लागू करने और मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में शैक्षिक और तकनीकी सामग्री की विषय वस्तु का अंग्रेजी से हिन्दी या विलोमत: अनुवाद कार्य में पांच वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

- (i) शिक्षाविदों या विशेषज्ञों के राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या विचार गोष्ठियों को आयोजित करने या उनसे संबद्ध रहने में तीन वर्ष का अनुभव।
- (ii) हिन्दी में प्रदत्त पी.एचडी. डिग्री या भाषायी अनुसंधान में प्रकाशित कार्य।
- (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर पर भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का अध्ययन किया हो।

टिप्पण – 1 : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700/-रुपए) में ऐसे विभागीय वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा माध्यम) जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रतिनियुक्ति के लिए यथाविहित आवश्यक और वांछनीय अर्हताएं रखता है, के नाम पर भी बाहरी उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाएगा और यदि वे इस पद के लिए चयनित होते हैं तो पद को प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।

टिप्पण – 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण – 3_: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

> [फा. सं. 39011/06/2015-स्था. (ख)] राजबीर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 12th March, 2020

G.S.R. 68.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Union Public Service Commission, Linguistic Administration, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2017 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Linguistic Administrator in the Union Public Service Commission, namely:-

- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Linguistic Administrator, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in the pay matrix.— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- **4. Disqualification.** No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax in consultation with Union Public Service Commission, any of the provisions to these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection	Age limit for
post				or non-selection	direct recruits
				post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Linguistic	1*	General Central	Level 13 in the pay	Not applicable	Not applicable
Administrator.	(2020)	Service, Group	matrix (Rs. 123100-		
	*Subject to	'A', Gazetted,	215900)		
	variation	Non-Ministerial			
	dependent on				
	work load				

Educational and other	Whether age and	Period of probation, if	Method of recruitment, whether by
qualifications required	educational qualifications	any	direct recruitment or by promotion
for direct recruits	prescribed for direct recruits		or by deputation/absorption and
	will apply in the case of		percentage of the vacancies to be
	promotees		filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By composite method
			[Deputation (including
			short-term contract) plus promotion]

In case of recruitment by promotion or	If a Departmental	Circumstances in which Union
deputation/absorption, grades from which promotion/	Promotion Committee	Public Service Commission to
deputation/absorption to be made	exists, what is its	be consulted in making
	composition	recruitment
(11)	(12)	(13)
Composite method [Deputation (including short-	Not applicable	Consultation with Union
term contract) plus promotion]:		Public Service Commission is
Officers of the Central Government or State		necessary for filling up the
Government or Union territory Administrations or		post
semi-Government or recognised research institutions or		
Universities or public sector undertakings or		
autonomous or statutory organisations,-		

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level 12 in the pay matrix, Rs. 78800-209200/or equivalent in the parent cadre or Department; or
- (iii) with ten years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level 11 in the pay matrix Rs. 67700-208700/- or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the following educational qualification and experience:-

Essential:

(i) Master's Degree in Linguistics from a recognised University; or

Master's Degree in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level from a recognised University; or

Master's Degree in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level from a recognised university; or

Master's Degree in any subject other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level from a recognised university; or

Master's Degree in any subject other than Hindi or English with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level from a recognized university; or

Master's Degree in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level from a recognised University;

(ii) five years experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, of the texts of academic and technical content, in different disciplines of humanities, social sciences, science and technology including experience of handling examination work under Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research or educational institutions.

Desirable:

- (i) three years experience in organising or associating in national or international conference or seminars of academicians or experts;
- (ii) Doctor of Philosophy awarded in Hindi by a recognized university or published work in linguistic research;
- (iii) studied one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule to the Constitution at 10th standard level from a recognised Board.

Note 1: The Departmental Senior Research Officer

(Language Medium) in level 11 in the pay matrix Rs. 67700-208700/- with ten years' of regular service in the grade and having essential and desirable qualifications as prescribed for deputationists shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, it shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

[F. No. 39011/06/2015-Estt.(B)] RAJBIR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2020

सा.का.नि. 69.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और संघ लोक सेवा आयोग (सुरक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 1993 तथा संघ लोक सेवा आयोग (सुरक्षा सहायक) समूह 'ग' भर्ती नियम, 2007 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के सुरक्षा इकाई में सुरक्षा अधिकारी तथा सुरक्षा सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियम करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग,(सुरक्षा इकाई) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2020 है।
- (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **लागू होना.** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .— भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।
- 5. निरर्हता.— वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।